<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> 23/6/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने अंबर दलाल मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में, 21/06/2024 को मुंबई में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी कार्रवाई के दौरान, 37 करोड़ रुपये की चल संपत्ति यानी नकदी, बैंक फंड, डीमैट खाता होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया गया है और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस पाए गए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है।

ईडी ने मेसर्स रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक अंबर दलाल के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। अंबर दलाल पर उच्च रिटर्न का वादा करके एक संदिग्ध पोंजी योजना के माध्यम से निवेशकों से पैसे लेने और फिर शुरुआती रिटर्न देने के बाद उनके पैसे लेकर फरार होने का आरोप है। यह पता चला है कि अंबर दलाल द्वारा 1300 निवेशकों से रुपये 600 करोड़ से अधिक धनराशि जुटाई गई है। उसे मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

ईडी की जाँच में पता चला है कि अंबर दलाल ने निवेशकों से यह कहकर पैसे जुटाए कि उसने इन पैसों को 9 कमोडिटी (सोना, चांदी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, जस्ता, सीसा, निकल, तांबा, एल्युमीनियम) में निवेश किया है और उनमें व्यापार किया है, जिससे पूंजी सुरिक्षत रहेगी और उसके निवेशकों को 18%-22% का वार्षिक रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उसने यूएई और यूएसए के निवेशकों से भी पैसे जुटाए।

तलाशी अभियान में स्टॉकब्रोकर, निवेश सलाहकारों के एक नेटवर्क का पता चला, जो कमीशन के बदले ग्राहकों को लाते थे। यह भी पाया गया कि नए निवेश से प्राप्त भुगतान का उपयोग पुराने निवेशकों को मासिक रिटर्न देने के लिए किया जा रहा था, अंबर दलाल ने रिट्ज के खाते में प्राप्त धन को व्यक्तिगत खातों में डायवर्ट किया, जिसे बाद में परिवार के सदस्यों के खातों में भेजा गया और संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। उसने अपने व्यक्तिगत खातों में लगभग 51 करोड़ रुपये डायवर्ट किए हैं। इन निधियों का उपयोग भारत और विदेशों में संपत्तियां हासिल करने के लिए किया गया। भारत में ऐसी आठ अचल संपत्तियां और विदेश में ऐसी दो संपत्तियों की पहचान की गई है।

यह भी पता चला है कि बैंकिंग चैनलों के अलावा, नकदी के माध्यम से भी निवेश किया गया था, जिसे बाद में मुंबई स्थित ज्वैलर्स की मिलीभगत से आवास प्रविष्टियों के रूप में बुक्स में डाला गया था। ऐसे नकद-आधारित निवेशों पर हवाला ऑपरेटरों द्वारा भारत और विदेशों (यूके, यूएई सहित) में निवेशकों को रिटर्न दिया गया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।